



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर
(Phone : 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Helpline 9928900900)
E mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com, website: www.rlsa.gov.in

क्रमांक : एफ-2()/रालसा/प्रो-बोनो/DS-I/472

दिनांक:- 31-08-2023

कार्यालय आदेश

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 के विनियम 7 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क सेवाएं देने हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जयपुर हेतु प्रो-बोनो अधिवक्तागण के पैनल का गठन इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 398 दिनांक 22.07.2022, 07 दिनांक 03.01.2023, 56 दिनांक 21.01.2023 व 325 दिनांक 02.06.2023 से किया गया था।

निर्देशानुसार, उक्त आदेश की निरंतरता में राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर हेतु प्रो-बोनो अधिवक्तागण को निम्नानुसार शामिल किया जाता है:-


1.	श्री रौनक सिंघवी	आर	1719	2000
2.	श्री दीपक शर्मा	आर	2153	2006
3.	श्री संदीप कुमार माहेश्वरी	आर	2589	2006
4.	श्री अंकुल गुप्ता	आर	1240	2011
5.	श्री कुलदीप शर्मा	आर	229	2013
6.	श्री मनीष कुमार सैनी	आर	3002	2018
7.	श्री विवेक गोयल	आर	261	1999
8.	श्री राहुल कामवार	आर	1711	2004
9.	सुश्री/श्रीमती मंजूमोनी हजारिका	एस	589	2009
10.	श्री सुरेश गुर्जर	आर	629	2010
11.	सुश्री/श्रीमती प्रमिला शर्मा	आर	2704	2014
12.	श्री दिवांशु गुप्ता	आर	1195	2015
13.	सुश्री/श्रीमती जीनत खान	आर	2436	2015
14.	श्री पल्लव चौधरी	आर	463	2016
15.	सुश्री/श्रीमती दिशा बांगर्ड	डी	4707	2016 (दिल्ली)

प्रो-बोनो अधिवक्तागण की सूची राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट <http://www.rlsa.gov.in/> पर अपलोड कर दी गई है।

उपरोक्त प्रो-बोनो अधिवक्तागण का पैनल निम्नलिखित शर्तों के अधीन कार्य करेगा:-

1. प्रो-बोनो पैनल की सेवाएं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं) विनियम, 2010 एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (Guidelines for institutionalising Pro-Bono Legal Services 2019) में दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन रहेंगी।
2. प्रो-बोनो पैनल का गठन 22 जुलाई, 2025 तक के लिए किया गया है। यह अवधि समाप्त होने पर प्रो-बोनो अधिवक्तागण द्वारा दी गई सहमति को ध्यान में रखते हुए पैनल का पुनर्विलोकन किया जाएगा।
3. प्रो-बोनो अधिवक्ता द्वारा संलग्न निर्धारित प्रारूप में दिनांक 31.10.2023 तक अप्रडरटेकिंग दिया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा पैनल से नाम पृथक कर दिया जा सकेगा।

आज्ञा से


(प्रमिल कुमार माथुर)


सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

क्रमांक:- एफ-2()/रालसा/प्रो-बोनो/DS-I/15291-15302 दिनांक:- 31-08-2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. रजिस्ट्रार कम प्रिंसिपल सेक्रेटरी, माननीय मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एवं मुख्य-संरक्षक राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
3. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली।
4. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
7. नोडल अधिकारी वेबसाइट
8. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
9. आदेश/रक्षित/संबंधित पत्रावली।


31/08/2023
(स्वाति राव)
उप सचिव-प्रथम
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर